मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ–226005

परिपत्र सं0– 31 /सामा–2(1)/खाद्यान्न, दिनांक: 14-10-2019.

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के भोजनार्थ आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्रियों (गेहूँ एवं चावल) की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने एवं बंदियों को निर्धारित मानक व मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के भोजन व्यवस्था हेतु गेहूँ/चावल की आपूर्ति का दायित्व शासनादेश संख्या–2403/22–4–08–48(37)/2000, दिनाँक–02.12.2008 द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग को दिया गया है, जो अपनी अधीनस्थ एजेन्सी उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ के माध्यम से प्रदेश की कारागारों को नियमित रूप से खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति करता है । उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थानीय इकाई से आपूर्तित गेहूं एवं चावल की गुणवत्ता की जाँच नामित समिति के माध्यम से कराते हुये मानक के अनुरुप गुणवत्तायुक्त गेहूँ/चावल की आपूर्ति प्राप्त की जाय। यदि उक्त सामग्री मानक के अनुरुप न हो अथवा अधोमानक पाया जाये तो स्थानीय इकाई को वापस कर रिपोर्ट तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

इसी प्रकार एस0एम0आई0 दर अथवा ठेके पर क्रय किये जाने वाली सामग्रियों की पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुये खाद्य सामग्रियों का क्रय किया जाये एवं बंदियों को निर्धारित मानक व उच्च गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराया जाये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये ।

भविष्य में जनपद के उच्च अधिकारियों/कारागार के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के निरीक्षण में यदि बंदियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में कमी अथवा अधोमानक पाया जाता है तो इसके लिए प्रभारी उप जेलर, कारापाल एवं अधीक्षक उत्तरदायी माने जायेंगे तथा उनके विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार अपने परिक्षेत्र की कारागारों में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

14/10/19

(वी0पी0 त्रिपाठी)
उप महानिरीक्षक कारागार (मु0),
उत्तर प्रदेश।